UPAU010012222026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, औरैया

पीठासीन अधिकारी–**पारूल जैन** (एच०जे०एस०)

(J.O CODE UP 2391)

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–408/2026

विशेष वाद संख्या–405/2016

ओमहरि उर्फ हरिओम पुत्र बाल सिंह निवासी सोनू का अड्डा ग्राम चमरौआ थाना दिबियापुर जिला औरैया

.....अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० राज्य

मुकदमा अपराध संख्या–149/2015
धारा–135 **भारतीय विद्युत अधिनियम**
थाना–**दिबियापुर**, जिला–औरैया

दिनांकः–28.03.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या **408/2026**, प्रार्थी/अभियुक्त **ओमहरि उर्फ हरिओम** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या **149/2015** अन्तर्गत धारा **135 विद्युत अधिनियम**, थाना **दिबियापुर**, जनपद औरैया के मामले में जमानत पर अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त आज दिनांक 28.03.2026 तक अंतरिम जमानत पर है और उसके द्वारा आज इस न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया गया है, वह न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 25.02.2015 को मुख्य सचिव उ०प्र० शासन के पत्रांक 2321 ऊर्जा अनुभाग लखनऊ दिनांक 06.01.2015 के अनुपालन में जनपद औरैया में विद्युत चोरी रोको अभियान के तहत थाना दिबियापुर के अन्तर्गत ग्राम सोनू का अड्डा पो० चमरौआ व ग्राम सूखम पुरवा मड़ैया में चैकिंग के दौरान अभियुक्त अवैध रूप से बिना विद्युत संयोजन लिए एल.टी. लाइन से अपनी कटिया फंसाकर विद्युत चोरी करते पाये गये। जब उनसे मौके पर कनेक्शन सम्बन्धी कागजात रशीद आदि दिखाने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया एवं अपनी केबिले हटाने लगे इससे स्पष्ट होता है कि यह व्यक्ति अवैध रूप से विद्युत का प्रयोग कर रहे थे।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संक्षेप में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है उसको गांव के लोगो ने षडयन्त्र के तहत बिजली विभाग को गलत सूचना देकर फसवा दिया है। वह विधुत विभाग की कार्यवाही के क्रम उक्त मामले को निस्तारित करवाना चाहता है। उसने दक्षिणाचंल विद्युत वितरण निगम लिमटेड रजि० ओफिस शक्ति भवन EDSD AURAIYA TOWN, UP, EDD AURAIYA, UP दिनांक 19.09.2016 को रशीद संख्या–985022 से 6387/– रूपया, दिनांक 19.09.2016 को रशीद संख्या–972226 से 6600/– रूपया, जमा कर दिये हैं, तथा शेष बकाया बिल दिनांक 29.12.2025 को रशीद संख्या 075953493170 से धनराशि 18625/–रूपया जमा कर दिया है अब कोई देय शेष नहीं रहा है। रूपया समस्त विद्युत अधिभार एवं शमन शुल्क सहित अधिभार को दक्षिणाचंल विद्युत वितरण निगम लिमटेड वितरण खण्ड औरैया के कार्यालय में जमा कर दिये है। उसका कोई अपराधिक इतिहास

Digitally signed by PARUL JAIN
Date: 2026.03.28 16:25:27 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and Sessions Court-1, Auraiya

नही है। वह अपनी जमानत देने को तैयार है। न्यायहित में उसका जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत होना अति आवश्यक है। अतः मु0अ0स0–149/2015, थाना–दिबियापुर, अन्तर्गत धारा–135 भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 के लिए उसका जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत करने की प्रार्थना की गयी है।

4. विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त बिना विद्युत संयोजन लिए एल.टी. लाइन से अपनी कटिया फंसाकर विद्युत चोरी कर विद्युत का उपभोग करते पाया गया। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर बिना विद्युत संयोजन लिए एल.टी. लाइन से अपनी कटिया फंसाकर विद्युत चोरी कर विद्युत उपभोग करने का आरोप है। विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता की रिपोर्ट के अनुसार विद्युत विभाग, दिबियापुर/औरैया से अदायगी आख्या प्राप्त नहीं है। प्रश्नगत मामला अन्तर्गत धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम से सम्बन्धित है। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है कि अभियुक्त द्वारा विचारण में सहयोग न किया जा रहा हो। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सी.बी.आई. एवं अन्य एस.एल.पी. क्रिमिनल नम्बर 5191/2021** के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त को जमानत दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद के सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रकरण के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त एवं समुचित आधार है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **ओमहरि उर्फ हरिओम** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या **149/2015** अन्तर्गत धारा **135 भारतीय विद्युत अधिनियम**, थाना **दिबियापुर** जनपद औरैया के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा 20,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं पूर्व में दाखिल एक जमानती दाखिल करने पर जमानत पर निर्मुक्त किया जाये।

(पारूल जैन)
विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।